

**प्रेस विज्ञप्ति**

**थाना- रानी की सराय**

**अवैध असलहा व कारतूस के साथ शांति अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक- 11.04.2024 को व0उ0नि0 गोपाल जी मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान पटेल नगर मोड़ के पास से अभियुक्त त्रिलोकी नाथ यादव पुत्र फिरतू यादव नि0 ईश्वरपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष को एक तमंचा .303 बोर व एक जिन्दा कारतूस .303 बोर के साथ समय 22.05 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 92/2024 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट बनाम त्रिलोकी नाथ यादव पुत्र फिरतू यादव नि0 ईश्वरपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1-त्रिलोकी नाथ यादव पुत्र फिरतू यादव नि0 ईश्वरपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ बरामदगी –

1- एक तमंचा 303 बोर व एक जिन्दा कारतूस 303 बोर

**पंजीकृत अभियोग-**

1-मु0अ0स0 92/2024 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ आपराधिक इतिहास-

क्र0स0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
01	239/2019	341/504/506	भादवि कोतवाली	आजमगढ़
02	230/2022	399/402/420/467/468/471	भादवि	रानी की सराय आजमगढ़
03	231/2022	3/25 आर्म्स एक्ट	रानी की सराय	आजमगढ़
04	258/2012	120बी/302/	भादवि गम्भीरपुर	आजमगढ़
05	560/2012	312गुण्डा गर्दी अधि0	गम्भीरपुर	आजमगढ़
06	355/2012	307 भादवि	रानी की सराय	आजमगढ़
07	590/2011	147/148/307/384/427/504/506	भादवि व 7Cla Act	रानी की सराय आजमगढ़
08	713/2011	110जी गुण्डा अधि0	रानी की सराय	आजमगढ़
09	267/2007	सिधारी		आजमगढ़

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. व0उ0नि0 गोपाल जी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 अजयप्रताप सिंह थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
3. का0 अरविन्द यादव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
4. का0 सुनील कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

## थाना- बरदह

बरदह क्षेत्रान्तर्गत पूर्व प्रधान की हत्या के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार; पूर्व में 10 अभियुक्त हो चुके हैं गिरफ्तार

### **पूर्व की घटना –**

दिनांक 09.02.2024 को वादी मुकदमा चन्देलाल यादव पुत्र मुन्नीलाल यादव निवासी सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ने थाना बरदह पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 08.02.2024 को वादी के बड़े पिता जी के लड़के रणविजय यादव पुत्र स्व० रामखेलावन उम्र करीब 50 वर्ष (मृतक) मार्टीनगंज बाजार से सब्जी लेकर शाम करीब 4.00 बजे घर की तरफ आ रहे थे कि बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान के सामने पहुँचे जहाँ पहले से हत्या करने के इरादे से 1.महेन्द्र यादव पुत्र स्व० रामहित यादव 2. विरेन्द्र यादव पुत्र रामगनी यादव 3.फुर्तीलाल यादव पुत्र रामदुलार यादव 4. सुरेश यादव पुत्र स्व० गणेश यादव 5. रामगनी यादव पुत्र स्व० मंगरू यादव 6. छोटेलाल यादव पुत्र श्रीपत यादव समस्त निवासी ग्राम सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ने मृतक रणविजय यादव की मोटर साइकिल को रोककर असलहे से फायरिंग करने लगे जिससे रणविजय यादव की मौके पर मृत्यु हो गयी। मृतक रणविजय यादव की हत्या कराने की साजिश एक महिला ने रची थी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 45/2024 धारा 302/120बी भा०द०वि० बनाम 1.महेन्द्र यादव पुत्र स्व० रामहित यादव आदि 07 नफर पंजीकृत कर विवेचना प्र०नि० बरदह द्वारा की जा रही थी।

➡दिनांक 13.02.2024 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.महेन्द्र यादव पुत्र स्व० रामहित यादव 2. वीरेन्द्र यादव पुत्र रामगनी यादव 3.फुर्तीलाल यादव पुत्र रामदुलार यादव 4. सुरेश यादव पुत्र स्व० गणेश यादव 5. रामगनी यादव पुत्र स्व० मंगरू यादव 6. छोटेलाल यादव पुत्र श्रीपत यादव समस्त निवासी ग्राम सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ बर्रा मोड़ से गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त वीरेन्द्र यादव पुत्र रामगनी यादव के निशान देही पर घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर व 01 फायरशुदा खोखा कारतूस 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, कमालपुर बेलवाना रोड से बरामद किया गया था।

➡ दिनांक-11.03.2024 को पुलिस मुठभेड़ के दौरान 03 अभियुक्त शूटर दीपचंद उर्फ दीपू निषाद उर्फ सिपाही पुत्र संता निषाद उम्र 28 वर्ष ग्राम गहजी थाना अहरौला आजमगढ़ तथा दो अन्य अभियुक्त 1. हरेन्द्र यादव पुत्र खदेरन यादव उम्र 45 वर्ष ग्राम ओरिलगढ़वा थाना पवई, आजमगढ़, 2. संजय यादव पुत्र झनकू उम्र 28 वर्ष ग्राम खंजहापुर थाना फूलपुर आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया था।

➡दिनांक 20.03.2024 को पूर्व ग्राम प्रधान की हत्या की साजिश करने वाली अभियुक्ता शर्मिला पत्नी स्व० अनिल सा० सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

➡मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित राजेन्द्र यादव पुत्र मिठाई लाल निवासी सोहौली थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ फरार चल रहा है। जिसके क्रम में-

### **गिरफ्तारी का विवरण-**

दिनांक- 12.04.2024 को प्रभारी निरीक्षक अखिलेश मौर्य मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजेन्द्र यादव पुत्र मिठाई लाल निवासी सोहौली थाना बरदह , जनपद आजमगढ़ को समय करीब 10.05 बजे जिवली तिराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता का चालान मा० न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-** मु०अ०सं० 45/24 धारा 302/120बी/34 भा०द०वि० थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ ।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** राजेन्द्र यादव पुत्र मिठाई लाल निवासी सोहौली थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

**गिरफ्तारी करने वाली टीम –** प्र०नि० अखिलेश कुमार मौर्य मय हमराह थाना बरदह, आजमगढ़

## थाना निजामाबाद

### गिरफ्तारी जिला बदर अपराधी अवैध असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

दिनांक 16.01.24 को धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1970 के अन्तर्गत श्रीमान अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन आजमगढ़ के आदेश दिनांक 16.01.24 द्वारा 6 माह के लिए जनपद की सीमाओ को छोड़कर बाहर रहने और जनपद की सीमा मे प्रवेश न करने के लिए आदेश पारित हुआ था किन्तु अभियुक्त जिलेदार यादव उर्फ जे0डी0 पुत्र राम नरेश यादव उर्फ बलेश्वर यादव फरिहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ अनधिकृत रूप से जनपद मे ही निवास कर रहा था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना निजामाबाद पर विभिन्न अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक 12.04.24 को उ0नि0 अशोक मय हमराह को सूचना मिली कि जिला बदर अभियुक्त मोहम्मद पुर रोड नहर पुलिया फरीहा पर असलहा लिये मौजूद है। इस सूचना पर पुलिस वाले मौके पर पहुंची उक्त अभियुक्त जिलेदार यादव उर्फ जे0डी0 पुत्र राम नरेश यादव उर्फ बलेश्वर यादव फरिहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष को एक अवैध तमंचा हुआ जिंदा कारतूस 0.315 के साथ समय करीब 12.30 बजे गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत मे लिया। अभियुक्त उपरोक्त का नियमानुसार माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 162/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0

गिरफ्तार अभियुक्त –

1-जिलेदार यादव उर्फ जे0डी0 पुत्र राम नरेश यादव उर्फ बलेश्वर यादव फरिहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

1-एक अदद तमंचा व एक अदद कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 81/19 धारा 147,283,504 व 506 IPC थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 150/19 धारा 323,504,506 IPC व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5क SC ST Act थाना निजामाबाद

3. मु0अ0सं0 70/20 धारा 323,504,506 IPC थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 अशोक थाना निजामाबाद, आमजगढ

2. का0 विक्रम मौर्य थाना निजामाबाद, आमजगढ

3. का0 दिनेश चन्द्र थाना निजामाबाद आजमगढ़